न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या48/2023
दायरी दिनांक 08.01.2024

संदीप कुमार पुत्र बीरबल जाति कुम्हार निवासी जीतास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
2 राकेश कुमार पुत्र बीरबल जाति कुम्हार निवासी जीतारा तहसील मण्डावा किला झुन्झुनू (राज)
3. सुनिता पुत्री बीरबल जाति कुम्हार निवासी जीतास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज)
4 सुगनी पत्नी बीरबल जाति कुम्हार निवासी जीतास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता वादीः– श्री महेन्द्र नेमीवाल
अधिवक्ता प्रतिवादीः– राजकीय पैरोकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 09.01.2025

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम जीतास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.12 हैल्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 2.13 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा2.18 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों की खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि है। वखतः 10,140, 145/273,1461274–57 74 ४० भूमि जो प्रायों की खानेदानी यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम का नाम मुकेश पुत्र बीरबल दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम संदीप कुमार पुत्र बीरबल है। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम संदीप कुमार पुत्र बीरबल दर्ज किया [illegible] राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है।प्रार्थी ने अपने कृषि भूमि में केसीसी लेने के लिए दिनांक 19/12/2023 को राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो प्रार्थी को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई है। इसलिए प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि का राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थी अपने नाम के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे है। वाद कारण दिनांक 19/12/2023 को प्रार्थी द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय मण्डावा से सम्पर्क किया तो तहसीलदार महोदय मण्डावा ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर रिकार्ड दुरूस्त करने से मना करने के कारण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम जीतास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 2.13 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 2.18 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुवे प्रार्थी का नाम मुकेश पुत्र बीरबल की जगह प्रार्थी का सही नाम संदीप कुमार पुत्र बीरबल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये । तहसीलदार मण्डावा द्वारा पत्रांक भू.अ. /2024 /1021 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश की फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम जीतास के जमाबन्दी खाता से 63,64 में प्रार्थी का नाम मुकेश पु. बीरबस जाति कुम्हार सा.दे खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट राशन कार्ड आदि मे नाम संदीप कुमार ए. बीरबल दर्ज है। मौके पर जांच में उपस्थित मौत बिरान ने पार्थी का नाम संदीप कुमम पु. वीरबल सही होना बताया। मुकेश नाम गलत दर्ज होना बताया ।अतः प्रस्तुत दस्तावेजात व मौका जांच अनुसार प्रार्थी करा नाम राजस्व कि रिकार्ड में मुकेश की बजाय संदीप कुमार शुद्ध किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। साक्ष्यों के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम संदीप कुमार पुत्र बीरबल है। अतः उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः ग्राम जीतास पटवार हल्का हनुमानपुरा के खाता संख्या 139 में दर्ज मुकेश कुमार पुत्र बीरबल के स्थान पर संदीप कुमार पुत्र बीरबल कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा